



No: 04 Date: 21 MAR 2014 Time: 12.45 PM
 1973/14



सुरेंद्र प्रसाद यादव निवासी जिला-गया
 निवासी-230, गया टाउन, जिला-गया (बिहार)
 18/09/14/100
 1/150
 इमार्क कान्त तामा K 530184
 डा. नं. 2, 90 जहानाबाद

"प्रारूप-26"
 (नियम 4क देखिए)



36, जहानाबाद निवाचन क्षेत्र से (निवाचन क्षेत्र का नाम) (लोक सभा)
 (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने
 वाला शपथ-पत्र।

भाग-क

मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव पुत्र/पुत्री/पत्नी भुनेश्वर यादव
 आयु 56 वर्ष, जो मो०-चिरैयाटांड, गया
 पो०-एच०ओ०, गया, थाना-रामपुर, जिला-गया (बिहार)

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ -

मैं राष्ट्रीय जनता दल (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया
 गया अभ्यर्थी /एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
 (जो लागू न हो उसे काट दें)
 मेरा नाम 230, गया टाउन (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का
 नाम) में भाग संख्या 147 के क्रम सं० 1286 पर प्रविष्ट है।



- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं.....09771908080..... है,
मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)surendra5444@gmail.com..... है
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि कोई हो)नहीं..... है।
- (4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थिति-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रूपए में)
1.	स्वयं	AAIPY0435B	2012-13	कुल रू० 1116596/- जिसमें कृषिगत आय 512500/-रू० शामिल है।
2.	पत्नि-या पत्नी	AEPPD6906B	2012-13	कुल रू० 7,11,461/- जिसमें कृषिगत आय 282387.00 शामिल है।
3.	आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4.	आश्रित-2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5.	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी -
- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विचचित किया गया है/किए गए है।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	1.सिविल लाईन थाना कांड संख्या 217/10 2. टिकारी थाना कांड संख्या 185/05 जिला-गया (बिहार)
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	1.सिविल लाईन थाना कांड संख्या 217/10 धारा 341, 352, 427, 511, भा.द.वि. 2. टिकारी थाना कांड संख्या 185/05 धारा 188, 171(H), 171(F) भा.द.वि. एवं 30 शस्त्र अधिनियम
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	सिविल लाईन 217/10 संज्ञान सी.जे.एम., गया 07.03.11 टिकारी 185/05 धारा संज्ञान सी.जे.एम., गया 18.11.05
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई।	सिविल लाईन 217/10 श्रीमती प्रतिभा न्या0द., गया टिकारी 185/05 धारा श्री एस.बी.पी.सिंह न्या.द0, गया
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे।	दिनांक 16.01.2012 सिविल ला. थाना कांड सं.217/10 दिनांक 26.05.2006 टिकारी थाना कांड सं. 185/05
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक दी गई है	नहीं



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वाक्त मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न)

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	न्यायालय बी.एन. त्रिपाठी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम जहानाबाद टाउन थाना कांड संख्या 94/09 संज्ञान तिथि 20.11.09
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	धारा 188, 506, 71 CIF, 34 भा.द.वि.
(ग)	पूर्वाक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्योरे	लागू नहीं है।

6. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ~~ठहराया-गया है/नहीं~~ ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया ~~गया है/नहीं~~ दिया गया है -

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा -

(क)	उन मामलों के ब्योरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता है।
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) का तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता है।
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता है।
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहाराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई थी /है। यदि हां, तो अपील के ब्योरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं होता है।



(7) मैं मेरे, मेरे प्रति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्योरे नीचे देता हूँ

जंगम आस्तियों के ब्योरे :-

संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्योरे दिए जाने हैं।

- टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए ।
- टिप्पण 4- यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
- टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने है।

क्रमसं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	रू० 32 लाख लगभग	रू०35 लाख लगभग	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	कुल जमा 19.03.2014 रूपया 1395626.00	कुल जमा रूपया 48775.00	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिट में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम ।	LIC Policy Sum Assured Rs. 30.00 Lakh	LIC Policy Sum Assured Rs. 3.00 Lakh	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	Gypsy (Maruti)1986 Rs. 50,500.00 SUV (Mahindra) Model 2013 Rs. 15,60,000.00 Mahindra Scoripo (2007) 868000.00	Hyundai i20 Model 2010 Rs. 7 Lakh	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	110 gm approx. Rs. 3,40,000/- approx.	1525 gm approx. Rs. 45 Lakh appox.	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि ऋण/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।	लागू नहीं होता है।




अ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकता वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रमसं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	गांव बजौरा डोभी, गया	गांव बजौरा डोभी, गया	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	7.91 एकड़	7.91 एकड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हा या नहीं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	वित्तीय वर्ष 83-84	वित्तीय वर्ष 83-84	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	रू० 811560/-	रू०811560/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	रू० 30.00लाख	रू०30.00लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि-अवस्थित (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	मछली तालाब बजौरा डोभी, गया	रामपुर, गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	5 एकड़	33.5 डिसमिल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हा या नहीं)	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	वित्तीय वर्ष 1994-95	वर्ष 1989 से 2000 तक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	रू. 52000.00	रू० 449800.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



	विकास, सान्नाय आदि क माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	रु. 100000.00 approx.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	रु.10.00 लाख approx	रु०60.00लाख approx.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	रामपुर, गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	32 डिसमिल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सर्वांजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	वर्ष 1993 से 2003 तक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	रु. 970150.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	रु. 200000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	90.00 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	चिरैयाटांड, रामपुर, गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	7500 वर्गफीट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	6871 वर्गफीट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ बंटवारा में मिला है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सर्वांजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

APJ
 krakasi
 anas
 no.-134/12
 OF BHM

	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	संनिर्माण का मूल्य रु. 3730000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	रु. 80.00 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
vi)	पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	रु. 1.20 करोड़	रु.1.80करोड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ -
(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	Central Bank of India outstanding Loan Rs. 94595/- SBI Vidhan Mandal Patna Outstanding Loan 5,42,000/-	Union Bank, Delha Gaya Outstanding Loan Rs. 3,86,125/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
i)	पूर्वाक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	रु. 6,36,595/-	रु. 386125/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी शोध्य-सरकार आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग का शोध्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- (9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :-
 (क) स्वयं राजनीति एवं नौकरी (विश्वविद्यालय सेवा)
 (ख) प्रत्ति-या पत्नी व्यवसाय एवं किराया
- (10). मेरी शैक्षिक अहर्ता नीचे दिये अनुसार है -

शैक्षणिक अहर्ता विवरणी संलग्न है।

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



भाग-ख


(11) भाग-क के (1) से (10) तक दिये गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	सुरेन्द्र प्रसाद यादव		
2.	डाक का पता	चिरैयाटांड, गया, पो०-एच०ओ० थाना-रामपुर, जिला-गया - 823001		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	230, गया टाउन, बिहार		
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	राष्ट्रीय जनता दल		
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	कुल - 2 सिविल लाईन थाना कांड संख्या 217/10 टेकारी थाना कांड संख्या 185/05		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायलयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	एक, जहानाबाद टाउन थाना कांड संख्या 94/09 मगध मेडिकल थाना कांड संख्या 261/11 डेल्ला थाना कांड संख्या 11/08 जहानाबाद थाना कांड संख्या 138/09	संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है।	
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियममात्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के के सिवाए)	लागू नहीं होता है।		
		...I.T..... का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है	कुल दर्शित आय
	अभ्यर्थी	AAIPY0435B	Financial Year-2012-13	Rs. 1116596/-
	पति या पत्नी	AEPPD6906B	Financial Year-2012-13	Rs. 7,11,461/-
	आश्रित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



जिला जहानाबाद

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)						
विवरण	स्वयं	प्रति मा पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
जंगम आस्तियाँ कुल मूल्य	रू. 2818500/-	रू. 52 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
स्थावर आस्तियाँ (i) स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	रू. 811560/-	रू.2231510/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii) क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	संनिर्माण का मूल्य रू. 3830000.00	रू. 200000.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(iii) निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	रू. 1.20 करोड़	रू.1.80 करोड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	रू. 1.20 करोड़	रू.1.80 करोड़	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
दायित्व (i) सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	रू. 636595/-	रू.386125/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
0. ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं						
(i) सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
1 उच्चतम शैक्षिक अहर्ता - विवरणी संलग्न है						
सम्पादन/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया (ब्यौरे में संश्लेषण देना है)						



सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे विरूद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्ध का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्ध का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी प्रति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 21.03.2014 को सत्यापित किया गया ।

Kishan Prakash
21/3/2014
अभिसाक्षी



NOTARY
Jehanabad
21 MAR 2014